Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **धौलपुर में उप निरीक्षक पुलिस को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 नवम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर करौली इकाई द्वारा आज शनिवार को धौलपुर में कार्यवाही करते हुये भगवान सिंह उपनिरीक्षक पुलिस एवं कार्यवाहक थानाधिकारी, थाना कोतवाली बाड़ी, जिला धौलपुर को परिवादी से 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की करौली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में आरोपियों के नाम निकालने की एवज में अनुसंधान अधिकारी भगवान सिंह उपनिरीक्षक पुलिस एवं कार्यवाहक थानाधिकारी, थाना कोतवाली बाड़ी, जिला धौलपुर द्वारा 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहे हैं।

जिस पर एसीबी की करौली इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री अमरसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये भगवान सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह निवासी ग्राम भूतपुरा, पुलिस थाना नदबई, जिला भरतपुर हाल उपनिरीक्षक पुलिस एवं कार्यवाहक थानाधिकारी, थाना कोतवाली बाड़ी, जिला धौलपुर को परिवादी से **50 हजार रुपये रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. विष्णुकांत के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।